न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 61/2022

राजस्थान सरकार जरिये नीरज जैन, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर ....प्रार्थी

बनाम

मैसर्स श्री कृष्णा स्वीट्स
होटल शोभराज के पास अजमेर
श्री सत्यनारायण पुत्र श्री बाबूला
निवासी शोभराज होटल के पास, दरगाह क्षेत्र अजमेर

.......अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

आदेश

दिनांक 13.09.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 21.07.2022 कोघरेलू गेस सिलेण्डर के अवैध रूप से व्यावसायिक दुरूपयोग/घरेलू सिलेण्डरो के अवैध रूप से रोकने के अभियान के तहत जांच दल कृष्णा स्वीटस पर पहुँचे दुकान पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग किया जा रहा था। गैस सिलेण्डर के संदर्भ में कोई कागजात मौके पर प्रस्तुत नही किए ।

दुकान पर घरेलू सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग करने की पुष्टि हुई। अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी सिलेण्डरो का दुरूपयोग कर एलपीजी (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) की अवहेलना होने के कारण सिलेण्डर को राजहित में जब्त किया गया । मौके पर घरेलू सिलेण्डर को राजहित में कब्जेराज लेकर मौके पर श्री अय्यूब खॉ पुत्र श्री कय्यूम खॉ कार्मिक चन्द्रायन गैस एजेन्सी अजमेर को बुलवा कर कांटे से वनज करवाने पर सिलेण्डर को सुपुर्द किया गया जिसका विवरण निम्नुसार पाया गया ।

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS	TYPE
1	240435	INDAN	16.60	30.80	14.20	Domestic Sylender
2	219060	Bpcl	16.40	30.60	14.20	Domestic Sylender

प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्तशुदा एक घरेलू सिलेण्डर को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

जिला कलक्टर
अजमेर

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक दिनांक 22.08.2023 को उपस्थित आए। पैरोकार सरकार द्वारा बहस चाहे जाने पर बहस सुनी गई।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 21.07.2022 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यवसाय स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरूपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लघंन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिये गये दो घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात फरमाया जावें।

अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की जानकारी के अीााव में किया गया । उक्त कृत्य भविष्य में नही किया जाएगा।

हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत नही किया गया है। वक्त जांच उनके द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग अपने व्यवसाय स्थल पर किया जाना पाया गया है। इससे उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये दो घरेलू गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूकिं उक्त सलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें ।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 13.09.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर
अजमेर